

सं० सं० 14 / एम 11-1 / 14

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा. राजधारी रंजन

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

रविन्द्र नाथ टैगोर अन्तर्राष्ट्रीय हृदय विज्ञान संस्थान,

मुकुन्दपुर, कोलकत्ता 700099

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 15.4.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सुरेन्द्र मिश्रा पिता-स्व. तारकेश्वर मिश्रा ग्राम-बगला स्थान, महरानी रोड पास, पो0+थाना-कोतवाली जिला-गया	गुर्दा रोग	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			₹ 1,50,000 /-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) का क्रास चेक सं०.....  
819995.....मूल रूप में संलग्न है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।

5. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. राजधारी रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक - 481 114

पटना, दिनांक - 24-4-15

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

22.4.15

सं० सं० 14/एम 11-1/14  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
सर सुन्दर लाल हॉस्पिटल,  
इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस,  
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी,  
वाराणसी।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 15.4.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	शकुन्तला देवी पति-कृष्णा सिंह ग्राम+पो०-हथनी थाना-नोखा जिला-रोहतास, सासाराम हौस्पिटल नं०-892/12	कैंसर रोग	₹ 25,000/- (पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	रुबी देवी पति-राम अवधेश राय ग्राम-गोड़ाढी पोस्ट+थाना-दावथ जिला-रोहतास हौस्पिटल नं०-48529	कैंसर रोग	दुसरी बार ₹ 25,000/- (पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	स्वेता कुमारी पिता-राज कुमार सिंह ग्राम-राधे बीगहा पोस्ट-कारा, थाना-ओबरा जिला-औरंगाबाद हौस्पिटल नं०-सीटीभीएस/2015	हृदय रोग	₹ 1,30,000/- (एक लाख तीस हजार) स्वीकृत।
4	शिव मुनी देवी पति-नारद मुनी पाठक ग्राम-सीधी पोस्ट-चाके डीहरा थाना-भगवानपुर जिला-भभुआ कैमुर हौस्पिटल नं०-1479/15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,40,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,40,000/- ( दो लाख चालीस हजार ) रुपये का क्रास चेक सं०....  
849989..... मूल रूप में संलग्न है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डा० राजधारी रंजन )

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक - 24-4-15

ज्ञापांक - 474 (14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख  
22-4-15

सं० सं० 14/एम 11-1/14  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान  
राय बरेली रोड, लखनऊ,-226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 15.4.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	राम विलास राय पिता-रामजीत राय ग्राम-हंसापीर पोस्ट+थाना-मशरख जिला-सारण, छपरा सी.आर नं०-2015051418	कैंसर रोग	₹ 25,000 /-(पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	दुर्गा प्रसाद पिता-रामाश्रय राम ग्राम-खेदरपुर पोस्ट-बहादुरपुर थाना-घटहो जिला-समस्तीपुर सी.आरनं०-2014692875	कैंसर रोग	₹ 25,000 /-(पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	दिलिप कुमार पिता- हरिश चन्द्र चौधरी ग्राम-पो०-दीग्धीकला थाना-हीजीपुर, जिला-वैशाली सी.आर नं०-2000168779	हृदय रोग	₹ 91,000 /-(एकानवे हजार) स्वीकृत।
4	ईश्वर दयाल पिता-स्व. रमायण मांझी ग्राम+पो०+थाना-गुठनी जिला-सीवान सी.आर नं०-2013196784	गुर्दा रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,91,000

